न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 185/2021
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम कुमार मंजीत सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
27/07/2021		

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1126/म0नि0को0, दिनांक–15.06.2021 से प्राप्त हायाघाट थाना कांड संख्या–48/21, दिनांक–27.03.2021 में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AJ-1421** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी कुमार मंजीत सिंह, पिता–राम सेवक सिंह, ग्राम+पोस्ट–ठाठोपुर, थाना–बहेड़ी, जिला–दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली कि एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति शराब लेकर गाँव आने वाले है। सूचना के सत्यापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए सशस्त्र बल के साथ करेह नदी के पूर्वी बाँध पर स्थित पट्टू साह के दुकान के समीप पहुँचे तो देखा गया कि दोव्यक्ति एक मोटरसाईकिल पर सवार होकर कोठरा गाँव की तरफ आ रहे थे, जैसे ही मोटरसाईकिल सवार दोनो व्यक्ति पुलिस गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा कि दोनो व्यक्ति मोटरसाईकिल से कुद कर भागने लगा, जिसमें से एक व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा दूसरे व्यक्ति को पीछाकर पकड़ने का प्रयास किया परंतु वह एक झोला को लेकर अँधेरा तथा पास में नदी होने के कारण भागने में सफल रहा। तत्पश्चात् विधिवत् उक्त **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AJ-1421** की तलाशी लेने पर उक्त वाहन से मैक डॉवेल कम्पनी का 180 एम0एल0 का 02 बोतल सीलबंद मात्रा–0.360 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस बल के द्वारा विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी को ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी शांति प्रिय कानुन वो प्रशासन में पूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। विपक्षी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। विपक्षी को साजिश वो षडयंत्र रच कर आगामी पंचायत चुनाव के मुखिया पद के प्रत्याशी द्वारा नाटकीय ढंग से अंजाम दिया गया है। स्थानीय चौकीदार गणेश सिंह ने विपक्षी कुमार मंजीत सिंह की मोटरसाईकिल आवश्यक कार्य से बाजार जाने हेतु माँग कर ले गये। उक्त चौकीदार ने विपक्षी की मोटरसाईकिल बिनोद साह नामक व्यक्ति को दिया। बिनोद साह द्वारा गलत कार्य में गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण विपक्षी का गाड़ी प्रसंगाधीन कांड में फँस गयी है। विपक्षी स्वयं मोटरसाईकिल का परिचालन घटना की तिथि को नहीं कर रहे थे। उक्त बिनोद साह नामक व्यक्ति ने किया, जो गिरफ्तार हो गया। उक्त वाहन से मात्र दो बोतल 180 एम0एल0 का कुल मात्रा–0.360 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जो व्यापार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। विपक्षी निर्दोष है। अतः उक्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AJ-1421** के डिक्की से मैक डॉवेल कम्पनी का 180 एम0एल0 का 02 बोतल मात्रा–0.360 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे पुलिस बल के द्वारा विधिवत उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। यह भी तथ्य है कि उक्त वाहन से परिवहन कर ले जाने के क्रम में पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति झोला में शराब ले कर भाग गया तथा दूसरा पकड़ा गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाहन से अवैध शराब का चौर्य व्यापार किया जा रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो

जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन तथा दाखिल कारण पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो। अगर विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वे उनपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में हायाघाट थाना कांड संख्या–48/21, दिनांक–27.03.2021 में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AJ-1421** को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

D:\DM COURT DBG\DISK (D)\2021\Excise Order\DM Sir Order\Kumar Manjit Singh 185-2021.doc

न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 157 / 2021
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मो0 सोहैल एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

27/07/2021

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–956 / म0नि0को0, दिनांक–24.05.2021 से प्राप्त जाले थाना कांड संख्या–51 / 21, दिनांक–23.03.2021 में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त **(1) मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206 (2) स्कुटी रजि0 नं0–BR30R-8130** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी (1) मोटरसाईकिल रजि0 नं0–**BR30AA-2206** के स्वामी मो0 सोहैल, पिता–मो0 इसराफुल, ग्राम–रामपुर, पोस्ट–पोखरभीड़ा, थाना–पुपरी, जिला–सीतामढ़ी एवं (2) **स्कुटी रजि0 नं0–BR30R-8130** के स्वामी संगीता देवी, पिता / पति–विश्वनाथ महतो, ग्राम–घोघराहा चंदौना, जाले, जिला–दरभंगा को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी **(1) मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है तथा विपक्षी वाहन स्वामी **(2) स्कुटी रजि0 नं0–BR30R-8130** से निर्गत नोटिस का तामिला अप्राप्त है। वर्तमान में जब्त एक वाहन **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** के लिए सुनवाई की गई।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि कि पुलिस बल के गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि ग्राम–घोघराहा पक्की सड़क के उत्तर कैलाश दास, पिता–स्व0 योगेन्द्र दास, ग्राम–घोघराहा, थाना–जाले, जिला–दरभंगा के घर के पास कुछ लोग अवैध शराब रखे हुए है। सूचना के सत्यापन हेतु ग्राम–घोघराहा पहुँचे तो पुलिस गाड़ी को देखकर तीन व्यक्ति तेजी से गाँव के उत्तर तरफ भागते हुए देखा गया तो गाड़ी रोककर पुलिस बल के सहयोग से पीछा किया गया तो एक व्यक्ति पकड़ा गया तथा दो व्यक्ति भागने सफल रहे। पकड़ाये व्यक्ति से पुछताछ में बताया गया कि उसके घर के सामने एक मोटर साईकिल तथा एक स्कुटी पर अंग्रेजी शराब का कार्टुन रखा हुआ है तथा कुछ और शराब का कार्टुन जमीन पर रखा हुआ है। तत्पश्चात् पकड़ाये व्यक्ति के बताये अनुसार उसके घर के पास पहुँचे तो देखा गया कि घर के बाहर खाली जमीन पर कपड़ा से ढ़का हुआ कार्टुन एवं स्कुटी पर एक कार्टुन अंग्रेजी शराब तथा मोटरसाईकिल पर एक कार्टुन अंग्रेजी शराब रखा हुआ था। विधिवत् तलाशी के क्रम में एक काला रंग का पल्सर **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** के सीट पर एक कार्टुन रॉयल डिलक्स अंग्रेजी शराब 750 एम0एल0 का 12 बोतल मात्रा–09.000 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। साथ ही घर के बाहर जमीन पर कपड़ा से ढ़का हुआ भाड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। उक्त से स्पष्ट है कि अवैध शराब का भंडारण कर खुदरा बिक्री हेतु उक्त मोटरसाईकिल पर लाद कर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस बल के द्वारा विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी उक्त वाद मे जब्त वाहन **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** के स्वामी है। विपक्षी का मोटरसाईकिल जबरदस्ती पुलिस घर के सामने से ले गई है। उक्त वाहन से कोई शराब का धंधा नहीं किया गया है न ही कोई शराब बरामद हुआ है। जब्ती सूची का गवाह स्थानीय नहीं है और दूसरे जगह का है। डरा धमका कर जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करा लिया गया। उक्त वाहन धारा–56(घ) के अन्तर्गत नहीं आता है। चुँकि शराब परिवहन उक्त वाहन से नहीं हुआ है। अतः उक्त वाहन को विमुक्त करने का कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** के सीट पर रखा हुआ एक कार्टुन रॉयल डिलक्स अंग्रेजी शराब 750 एम0एल0 का 12 बोतल मात्रा–09.000 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। साथ ही घर के बाहर जमीन पर कपड़ा के ढ़का हुआ भाड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। उक्त से स्पष्ट है कि अवैध शराब का भंडारण कर खुदरा बिक्री हेतु उक्त

मोटरसाईकिल पर लाद कर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस बल के द्वारा विधिवत् उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन तथा दाखिल कारण पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नहीं किया, जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो, जबकि विधिवत् तलाशी के दौरान उक्त वाहन से शराब बरामद हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में जाले थाना कांड संख्या–51/21, दिनांक–23.03.2021 में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ जब्त **मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR30AA-2206** की कार्यवाही समाप्त की जाती है, शेष जब्त वाहन **स्कुटी रजि0 नं0–BR30R-8130** की कार्यवाही जारी रहेगी।

अभिलेख दिनांक 06/8/2021 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा